पार्थ सारथी सेन शर्मा
आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
प्रधान कार्यालय, 4–ए गोखले मार्ग, लखनऊ
फोन कार्या0 0522–2208737, 2207065
फैक्स नं0– 0522–2208769
E mail : md.mvvnl2010@gmail.com

पत्र सं0 291 प्रनि/मविविनिलि/कैम्प

दिनांक 22/5/2010

विषयः– यथा सम्भव निरन्तर विद्युत आपूर्ति के संबंध में।

मुख्य अभियन्ता (वितरण),
लेसा/लखनऊ/बरेली/फैजाबाद,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0।

वर्तमान में भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में उपलब्धता के सापेक्ष विद्युत की मांग में बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे में निर्धारित मानकों के अनुरूप यथासम्भव विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि विद्युत व्यवधान को शीघ्र अतिशीघ्र ठीक कराया जाये। इस संबंध में यथासम्भव निरन्तर विद्युत व्यवस्था बनाये रखने के लिए निम्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही की जानी आवश्यक हैः–

1. जनपदों में रोस्टर के अनुसार अनवरत विद्युत आपूर्ति के हर सम्भव प्रयास किये जाये।
2. ब्रेकडाउन को कम से कम अवधि में ठीक कराया जाये और सुनिश्चित किया जाये कि विद्युत व्यवधान न्यूनतम् समय के लिए हों।
3. समुचित मात्रा में अनुरक्षण सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
4. सभी अधिकारी/कर्मचारी मुख्यालय पर रहें और उपभोक्ताओं की शिकायतों का विशेष ध्यान रखें। पूर्व में ही निर्देश दिये गये है कि मेरी अनुमति के बिना कोई मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और मुख्य अभियन्ता की अनुमति के बिना कोई अधिशासी अभियन्ता अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा।
5. आवश्यक अनुरक्षण कार्य कराने हेतु शटडाउन से संबंधित सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ किया जाये ताकि उपभोक्ताओं को उसकी जानकारी रहे।
6. पेयजल आपूर्ति हेतु शहरी एवं ग्रामीण नलकूपों की विद्युत आपूर्ति की निरन्तर समीक्षा की जाये तथा ऐसे नलकूपों की विद्युत आपूर्ति बाधित है तो प्राथमिकता पर उसकी विद्युत आपूर्ति बहाल की जाये।
7. विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर यदि जल संस्थान/जल निगम के टैंकों को भरने की समस्या आती है तो मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ0प्र0पाकालि से समन्वय कर विद्युत आपूर्ति के समय में परिवर्तन हेतु प्रयास किये जायें और मुझे भी अवगत कराया जाये।
8. जिलाधिकारी/स्थानीय प्रशासन से लगातार समन्वय बनाकर रखा जाये तथा वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराया जाये। इस बिन्दु पर मेरे द्वारा पूर्व में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।
9. प्रत्येक नगर, तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्र को पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्धारित विद्युत आपूर्ति अवधि के पूर्व समस्त व्यवधान समयबद्ध अनुरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत दूर कर दिये जाये।

10. निर्धारित विद्युत आपूर्ति अवधि में यदि कोई व्यवधान/दोष उत्पन्न होता है तो सम्बंधित सेक्शन/क्षेत्र को अलग करके व्यवधान/दोष रहित क्षेत्र को शीघ्र विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाये एवं विद्युत आपूर्ति अवधि के उपरान्त व्यवधान/दोष, को अगली विद्युत आपूर्ति अवधि के पूर्व दूर करा लिया जाये।

11. स्थानीय स्तर पर अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता अपने अधीनस्थ विद्युत उपकेन्द्र का समय–समय पर निरीक्षण करें जिससे प्रशासनिक एवं तकनीकी समस्याओं का निराकरण कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

22/05/14

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निदेशक (तकनीकी), मध्यॉचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।